


कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

(जिला सामान्य शाखा)

आदेश


पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को प्राप्त आवेदन के आलोक में उन्होंने अपने पत्रांक 1118/गो0, दिनांक 05.10.2018 द्वारा खगड़िया सेशन काण्ड सं0-46/93 के सजावार बंदी अरुण कुमार यादव, पे0-स्व0 मदन यादव, ग्राम-चुकती, थाना+पो0-मानसी, जिला-खगड़िया द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति के संबंध में उचित कर्वाई करने का अनुरोध किया गया है। श्री यादव अभी वर्तमान में मंडल कारा, खगड़िया में सजावार बंदी के रूप में संसिमित हैं।

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से प्राप्त पत्र एवं शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 47 एवं आर्म्स नियमावली के नियम 17 (3) के सुसंगत धाराओं के अधीन सजावार बंदी अरुण कुमार यादव, पे0-स्व0 मदन यादव, ग्राम-चुकती, थाना+पो0-मानसी, जिला-खगड़िया द्वारा धारित कुल दो शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-01/2013 (मानसी थाना) पर धारित एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल सं0-001077 (.32 bore made in Jermamy) एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-03/1995 (चौथम थाना) पर धारित एक .315 बोर राईफल सं0-AB 95-1129 (I.O.F) की अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि उक्त शस्त्र को मानसी थाना के मालखाना में जमा करते हुए शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका की मूल प्रति इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। शस्त्र अनुज्ञप्ति का UIN-051700010223382015 है।


जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया

ज्ञापक IV-01/2018/262/जी0, दिनांक 20.08.19

- प्रतिलिपि :- श्री अरुण कुमार यादव, पे0-मदन यादव, साकिन-चुकती, थाना-मानसी, जिला-खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अधीक्षक मंडल कारा, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सजावार बंदी अरुण कुमार यादव, पे0-स्व0 मदन यादव, ग्राम-चुकती, थाना+पो0-मानसी, जिला-खगड़िया का पत्र संलग्न करते हुए आदेश दिया जाता है कि पत्र की प्रति उपरोक्त बंदी को तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, मानसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि पत्र की अतिरिक्त प्रति को उनके घर के सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई0टी0प्रबंधक, खगड़िया को बेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।


जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया